अध्याय पॉच : निष्कर्ष

74वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243पी से 243जेडजी को मिलाकर नगर पालिकाओं में भाग IX अ को शामिल किया गया। यह संशोधन जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ, राज्य विधानमंडलों को स्थानीय निकायों को स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने और शक्तियों तथा जिम्मेदारियों (अनुच्छेद 243डब्ल्यू) के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने हेतु आवश्यक शक्तियों और अधिकार के साथ कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची है।

प्रत्येक राज्य को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए एक कानून बनाना था। राज्य में शहरी स्थानीय निकाय छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 द्वारा शासित थे। 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा 74 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का पालन करने के लिए कुछ नियम बनाए गये थे। हालांकि इन नियमों को दृढ़ कार्रवाई द्वारा समर्थित नहीं किया गया था, विशेष रूप से कार्यों के हस्तांतरण और उपयुक्त संस्थागत तंत्र के निर्माण के संदर्भ में जिसने संविधान संशोधन की भावना को पराजित किया।

अठारह कार्यों में से शहरी स्थानीय निकाय आठ कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे, एक कार्य में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, छः कार्यों में दोहरी भूमिका थी, दो कार्यों में केवल कार्यान्वयन एजेंसियां थीं और एक कार्य के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय की न्यूनतम भूमिका थी अथवा राज्य के विभागों/पैरास्टेटल के साथ अतिव्यापी क्षेत्राधिकार था।

वार्डों के परिसीमन की शक्ति, परिषद के लिए सीटों का आरक्षण और महापौर/अध्यक्ष, उप–महापौर/उपाध्यक्ष और वार्डों के पदों के लिए सीटों की रोटेशन नीति राज्य सरकार में निहित थी।

यह भी देखा गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव नहीं हुए थे और इसलिए निर्वाचित स्थानीय सरकार की अनुपस्थिति में इन शहरी स्थानीय निकायों के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिदेश का भी उल्लंघन हो रहा था।

कुछ शहरी स्थानीय निकायों में सलाहकार समितियों, वार्ड और मोहल्ला समितियों, नगर लेखा समितियों और महानगर योजना समितियों का गठन नहीं पाया गया। यद्यपि जिला योजना समितियों का गठन किया गया था किन्तु समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गई थीं।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाओं पर प्रावधान और व्यय के बीच अत्यधिक अंतर है। इसके अलावा विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के बीच जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि के मध्य व्यापक अंतर था।

शहरी स्थानीय निकायों को आम तौर पर स्वच्छता और घरेलू स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कवरेज को प्राप्त करने के मामले में प्रभावी पाया गया परंतु जहां तक अन्य मानकों का संबंध था वहां बड़े अंतराल थे। सेवा स्तर बेंचमार्क के संकेतकों के अनुसार जब इस तथ्य के साथ देखा जाता है कि शहरी स्थानीय निकाय उचित रूप से वांछित शुल्क एकत्र करने में सक्षम नहीं हैं और सेवाओं की लागत वसूल करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं जो उनकी वित्तीय स्थिति की एक गंभीर स्थिति को दर्शाता है जिसने सेवाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संवैधानिक प्रावधानों और अधिनियमों के अनुसार पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष 2020–21 से लंबित था। हालाँकि आज की तारीख में दूसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण तीसरे राज्य वित्त आयोग के मानदंडों की तुलना में ₹ 256.10 करोड़ तक कम था।

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का हिस्सा कम था (नगर पंचायत 15.92 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद 16.06 प्रतिशत और नगर निगम 28.71 प्रतिशत)। इससे पता चलता है कि शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अत्यधिक नाजुक थी और वे पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर निर्भर थे। संपत्ति कर, सेवा शुल्क और जल शुल्क के संबंध में विभिन्न करों/प्रभारों की कम वसूली के मामले भी देखे गए थे।

मानव संसाधन के मामले में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के साथ कार्य कर रहे थे और आउटसोर्स कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भर थे। हमने यह भी देखा कि कर्मचारियों और पार्षदों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को उनकी दक्षता में सुधार की दृष्टि से पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया था।

रायपुर : 03 जून 2022

(दिनेश आर. पाटील)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली : 28 जून 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक